1-8-24	पत्रावली पेश हुई वकील वादी उपस्थित प्रकरण मे तहसीलदार बेगू के पत्र क्र.स. भू. अ./प्रा.डी./2826 दिनांक 29-7-24 से फर्द बटवारा प्राप्त हुई प्राप्त रिपोर्ट पर वकील वादी की बहस सुनी गई वकील वादी ने अपनी बहस मे फर्द बटवारा प्राथमिक डिक्री अनुसार होना बताया। प्रकरण मे प्राप्त फर्द बटवारा रिपोर्ट स्वीकार किया जाता है। दावा फर्द बटवारा अनुसार दावा अंतिम डिक्री किया जाता है।

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूं जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)
पीठासीन अधिकारी गनपती नरेश

दावा सं0 : 99/18
शंभुलाल पिता भूरालाल मेघवाल निवासी लक्ष्मीनिवास तह0 बिजोलिया जिला भीलवाड़ा
............वादी

– बनाम –

1:– बंशीलाल पिता भंवरलाल जटिया निवासी रामनगर तह0 बेगूं
2:– हीरालाल पिता कालु जटिया निवासी रामनगर तह0 बेगूं (नाम विलोपित)
3:– श्रीमान भूमिधारी जी तहसीलदार साहब तह0 कार्यालय बेगूं
.......प्रतिवादीगण

उपस्थित :: के.सी.मंत्री
अधिवक्ता वादी
अनुपस्थित
अधिवक्ता प्रतिवादी

निर्णय दिनांक :1–08–2024

निर्णय वाद अ0धा0 53 राज0का0अधि0

वादी की ओर से वाद अ0धा0 53 राज0का0अधि0 का अधिवक्ता श्री के.सी. मंत्री द्वारा प्रस्तुत कर निवेदन इस प्रकार से किया है कि–

यह कि मौजा बस्सी फतेहपुर प0ह0 शादी तह0 बेगूं की वर्तमान खतौनी सम्वत 2073–76 खाता सं0 62 में आराजी सं0 470 रकबा 1.4240 है0 भूमि जरिये नामांतरण सं0 522 एवं 524 व प्रतिवादी सं0 2 का हिस्सा 1/32 खरीद से वादी का हिस्सा 7/8 एवं प्रतिवादी सं0 1 का हिस्सा 1/8 अनुसार दर्ज रिकार्ड अंकित है।

यह कि उक्त आराजी में वादी का हिस्सा 7/8 होकर इसी अनुसार वादी के कब्जे काश्त एवं उपयोग उपभोग में है।

यह कि वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 व 2 के मध्य भूमि संयुक्त खातेदारी की होने से फसल बोने, काटने एवं पैदावार प्राप्त करते समय मनमुटाव एवं विवाद होता रहता है जिससे वादी ने दिनांक 12.05.2018 को प्रतिवादी सं0 1 व 2 को तह0 कार्यालय में चलकर बंटवाडा कराने हेतु कहा तो उन्होंने मना कर दिया जिससे वादी को यह वाद वास्ते बंटवाडा प्रस्तुत करने की आवश्यकता हुई।

यह कि वादी उक्त वर्णित मौजा बस्सी फतेहपुर की आराजी सं0 470 रकबा 1.4240 है0 भूमि में का अपना निहित हक हिस्सा 7/8 को जरिये विभाजन पृथक करा स्वतंत्र खातेदारी में दर्ज कराने का पूर्ण अधिकारी है एवं इसी हेतु मिट्स एवं बाउंड्स में अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी का

अतः वादी श्रीमान से निम्न अनुतोष की प्रार्थना करता है–

(अ) कि पक्ष वादी विरूद्ध प्रतिवादी वादपत्र में वर्णित आराजी सं0 470 रकबा 1.4240 है0 भूमि में का वादी का हिस्सा 7/8 का जरिये विभाजन पृथक करा राजस्व रिकार्ड में स्वतंत्र रूप से दर्ज किये जाने की आज्ञप्ति प्रदान की जावे।

(ब) अन्य कोई अनुतोष जो सुलभ वादी हो प्रदान कराया जावे।

वाद अ0धा0 53 राज0का0अधि0 का दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन से तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 1 एवं 2 बावजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए जिससे इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। तदोपरांत वादी की और से स्वयं वादी के साक्ष्यवादी में बयान कलमबद्ध करा दस्तावेज प्रदर्श कराये गये। दस्तावेजों का अवलोकन किया गया।

अवलोकन में पाया कि वाद वर्णित आराजी में वादी का हिस्सा 7/8 दर्ज है जिसका वादी विभाजन कराने का अधिकारी पाया जाता है। इसी हिस्सा अनुसार विभाजन किया जाना न्यायसंगत है।

अतः वाद वादी का अंतर्गत धारा 53 राज0का0अधि0 का स्वीकार किया जाता है। मौजा बस्सी फतेपुर प0ह0 शादी तह0 बेगूं की आराजी सं0 470 रकबा 1.4240 है0 भूमि में वादी का हक हिस्सा 7/8 शेष हिस्सा 1/8 प्रतिवादी सं0 1 का रखते हुए आराजी का विभाजन किए जाने हेतु तहसीलदार बेगूं को 1500/– रूपये कमिश्नर शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। दावा

थमिक डिक्री किया जाकर डिक्री की प्रति तहसीलदार बेगूं को पालनार्थ दी जाकर निर्देशित किया ाता है कि वे निर्णयानुसार आराजी का वादी एवं प्रतिवादी के मध्य विभाजन प्रस्ताव तैयार करते हुए मूल नक्शा ट्रेस दो प्रति में इस न्यायालय में आगामी तारीख 31.07.2024 से पूर्व पेश करे।

उपरोक्त प्राथमिक निर्णय व डिक्री की पालना मे तहसीलदार बेगूं को वर्णित आराजियात का फर्द बटवारा रिपोर्ट वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य तैयार कर न्यायालय में भिजवाने हेतु लिखा गया था जिसकी पालना मे तहसीलदार बेगूं द्वारा उनके पत्र क्रमांक/भू.अ./प्रा.डी./2024/2826 दिनांक 29.07.2024 के साथ फर्द बटवारा रिपोर्ट प्रस्तुत कि गई जिसमे वकील वादी की बहस सुनी गई वकील वादी द्वारा प्राप्त फर्द बटवारा रिपोर्ट सही होने एवं दावा अंतिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया है। प्राप्त फर्द बटवारा रिपोर्ट अनुसार वादीगण का वादपत्र अन्तिम डिक्री की घोषणा किया जाने योग्य है।

अतः वादीगण वादपत्र 53. राज0कश्त0अधि0 का मुताबिक फर्द बटवारा रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किया जाता है। मौजा बस्सी फतेहपुर प0ह0 शादी की आराजीयात का वादी एवं प्रतिवादी के मध्य निम्न प्रकार से खाता पृथक पृथक किये जाने के आदेश दिये जाते है।

वादी 1– श्री शंम्भुलाल पिता भूरालाल मेघवाल सा.लक्ष्मीनिवास तह.बिजोलिया खातेदार

	आराजी संख्या	रकबा हैक्टर में	किस्म	लगान
. .	470 मेसे उत्तरी भाग	1.2460		2.30
	किता– 1	1.2460		2.30

प्रतिवादी 1– बंशीलाल पिता भंवरलाल जटिया सा.रामनगर खातेदार

	आराजी संख्या	रकबा हैक्टर में	किस्म	लगान
. .	470 मेसे दक्षिणी भाग	0.1780		0.33
	किता– 1	0.1780		0.33

उपरोक्तानुसार वादी एवं प्रतिवादी का खाता राजस्व रिकार्ड में पृथक पृथक दर्ज किया जावे ।

अंतिम निर्णय आज दिनांक 01.08.2024 को लिखा जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(मनस्वी नरेश)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी) बेंगू

मूलवाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूं जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)

दावा सं0 : 99 / 18

शंभुलाल पिता भूरालाल मेघवाल निवासी लक्ष्मीनिवास तह0 बिजोलिया जिला भीलवाड़ा

............वादी

– बनाम –

1:– बंशीलाल पिता भंवरलाल जटिया निवासी रामनगर तह0 बेगूं
2:– हीरालाल पिता कालु जटिया निवासी रामनगर तह0 बेगूं (नाम विलोपित)
3:– श्रीमान भूमिधारी जी तहसीलदार साहब तह0 कार्यालय बेगूं

.......प्रतिवादीगण

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री के.सी.मंत्री की उपस्थिति में तथा प्रतिवादी की ओर कोई नही एक तरफा आदेश में वाद अ.धा. 53 आर.टी.एक्ट में आज दिनांक 01.08.2024 को पीठासीन अधिकारी मनस्वी नरेश सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बेगूं के समक्ष अंतिम निपटारे हेतु उपस्थित होने से अतः वादीगण का वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 राज0 काश्त0 अधि0 का स्वीकार किया जाता है दावा अंतिम डिक्री किया जाता है:–

अतः वादीगण वादपत्र 53. राज0कश्त0अधि0 का मुताबिक फर्द बटवारा रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किया जाता है। मौजा बस्सी फतेहपुर प0ह0 शादी की आराजीयात का वादी एवं प्रतिवादी के मध्य निम्न प्रकार से खाता पृथक पृथक किये जाने के आदेश दिये जाते है।

वादी 1– श्री शंम्भुलाल पिता भूरालाल मेघवाल सा.लक्ष्मीनिवास तह.बिजोलिया खातेदार

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर में	किस्म	लगान
470 मेसे उत्तरी भाग	1.2460		2.30
किता– 1	1.2460		2.30

प्रतिवादी 1– बंशीलाल पिता भंवरलाल जटिया सा.रामनगर खातेदार

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर में	किस्म	लगान
470 मेसे दक्षिणी भाग	0.1780		0.33
किता– 1	0.1780		0.33

उपरोक्तानुसार वादी एवं प्रतिवादी का खाता राजस्व रिकार्ड में पृथक पृथक दर्ज किया जावे । अंतिम निर्णय आज दिनांक 01.08.2024 को लिखा जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(मनस्वी नरेश)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी) बेंगू

क्रमांक / सरिश्ता / 2024 / 398 दिनांक :– 5.8.24

दावा संख्या 99 / 2018 व अनवान शांभूलाल बनाम बंशीलाल वगे. वाद अ0धा0 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में अंतिम डिक्री प्रति तहसीलदार बेगूॅ को पालनार्थ दी जाती है।

सहायक कलक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)बेगू